ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, ममूह गुरचाल , विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अंजू बाला	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री शक्ति प्रसाद	23-01-16 से अद्यतन

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री बृज लाल	2008 से 1-11-16

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1 .	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.38
2.	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	0.10
3..	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	8.63
4.	8	औपचारिकताओं के पूर्ण किये बिना खरीद करने बारे	2.89
5.	9	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	5.32

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 11-01-2017 से 19-01-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय ममूह गुरचाल में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 04 /13, 01/15 व 04/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/14, 02/15 व 10/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल , विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:16 दिनांक 19 -01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	26743	72181	98924	48886	50038
2014-15	50038	58372	108410	54019	54391
2015-16	54391	18527	72918	32302	40616

{2}अनुदान:- ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	464711	2576970	3041681	2642019	399662
2014-15	399662	1693911	2093573	1680610	412963
2015-16	412963	2441980	2854943	1991697	863246

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB Sadwan	50051757037	719963
2.	KCCB Sadwan	50051756963	5264
3.	KCCB Sadwan	50051757060	58764
4.	KCCB Sadwan	500517	58771
5.	KCCB Sadwan	20069021502	17415
6.	KCCB Sadwan	20069042023	43685
		TOTAL	**903862**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 903862

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹ 903862

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण

अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व छ: पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 नियमों के विरुद्ध छ: बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्धारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार छ: बैंक बचत खाते खोले गए है। अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त तीन खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.38 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्वः-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत के गृहकर ₹38000 की वसूली शेष थी।

गृहकर:-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	31955	16000	47955	47955	-----
2014-15	-------	18000	18000	----	18000
2015-16	18000	20000	38000	------	38000

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणो को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से₹0.10 लाख अधिक व्यय करने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान RDY के शीर्ष के अन्तर्गत ₹9700, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹ 8.63 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹863246 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:13 दिनांक 19-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.89 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹288969 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:14 दिनांक 19-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 क्रय की गई ₹ 5.32 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹531999 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :14 दिनांक 19-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के ऑडिट द्वारा क्रय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय सामग्री की प्रविष्टियाँ करके व उपयोग अभिलेख तैयार कर आगामी लेखा परीक्षा से जांच कारवाई जाये अन्यथा राशि वसूली योग्य है।

10 एक ही मजदूर द्वारा एक ही अवधि को दो अलग-अलग निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि मजदूर श्री अशोक कुमार सपुत्र श्री कृष्ण लाल द्वारा एक ही अवधि में दो निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों पर हाजिरी दर्शाई गई है

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	दिन	दिहाड़ी	कुल भुगतान
89	रास्ता वार्ड -4	12-02-14 से 24-02-14	13	138	1794
90	नालिया मलकवाल	10-2-14 से 21-02-14	12	138	1656

उपरोक्त विवरण के आधार पर जाँच में पाया गया कि उक्त मजदूर को 10 दिन का दो बार भुगतान करके कुल ₹1380 का अधिक भुगतान किया गया है जो की एक गम्भीर अनियमितता है। अत: दोषी से ₹1380 को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

11 बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे:-

वाटर शेड निधि की रोकड़ बही की जाँच के दौरान माह 3/15 में ₹13300/- के व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में उक्त बिल/वाउचर को प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- 15 दिनांक 19-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

15 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

16 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 90/2017–खण्ड–1–2788–2791 दिनाँकः4.5. 2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881